

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : प.4(17)वित्त/राजस्व/2016

जयपुर, दिनांक : 10.02.2017

आज्ञा

राजस्थान राज्य बीमा और भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.01.2017 की अनुशंसा पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित पर्यवेक्षकों को वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में सहायक निदेशक के पद पर पे-बैंड 3 (15600-39100) ग्रेड-पे 5400/- में कार्यभार संभालने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :-


क्र.सं.	नाम अधिकारी	अजा/अजजा	पद रिक्त होने का दिनांक
1	श्री अमरपाल मीणा	अजजा	01.04.2016
2	श्री रामदयाल जाटव	अजा	01.04.2016
3	श्री राधेश्याम निर्वाण पुत्र श्री बजरंगलाल		01.04.2016
4	श्री जगदीश नारायण कुमावत		01.04.2016
5	श्री राकेश कुमार वर्मा		01.04.2016
6	श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला		01.04.2016
7	श्री सुरेश कुमार जैन		01.05.2016
8	श्री देवकिशन सोलंकी		01.07.2016
9	श्री मुरारीलाल तौवर		01.08.2016
10	श्री परमानन्द वर्मा		01.08.2016
11	श्री पूरण सिंह	अजा	01.07.2016
12	श्री रामरतन मारु		01.08.2016
13	श्री बजरंगलाल दीक्षित		08.09.2016
14	श्री श्याम लाल प्रजापत		01.12.2016
15	श्री रवीन्द्र पंवार		11.01.2017

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के तहत एडहोक किये गये सहायक निदेशक श्री अमरपाल मीणा को चयन वर्ष 2016-17 में नियमित किया गया है।

श्री रूपनारायण मीणा, अनुसूचित जन जाति के विरुद्ध कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग के ज्ञापन क्रमांक प.1(276)/कार्मिक/क-3/2015 दिनांक 09.02.2016 द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जॉच विचाराधीन होने के कारण उनका प्रकरण सील कवर में रखा गया है।


पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर सभी परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

(वैद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.5 (463)डीपीसी/2016-17/605 दिनांक 09.02.2017 के क्रम में।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 8. अतिरिक्त निदेशक, (कम्प्यूटर) वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


7/10/17
संयुक्त शासन सचिव